

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कृषि पंत, कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प.3(11) आ.कृ./लेखा/बजट/आ0भिन्न/बीएफसी/2016-17/

दिनांक :

बजट परिपत्र

विषय : आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आय-व्ययक अनुमान (आयोजना भिन्न) तथा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए संशोधित अनुमान (आयोजना भिन्न) के प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।

समस्त आंकलन अधिकारियों से अनुरोध है कि वित्त विभाग की वेब साइट www.finance.rajasthan.gov.in पर जाकर बजट परिपत्र क्रमांक प.4(38)वित्त-1आ.व्य./2016 दिनांक 09.09.2016 (BE 2017-18 & RE 2016-17) डाउनलोड करें उक्त बजट परिपत्र को सावधानी पूर्वक पढ़कर निर्देशानुसार सभी प्रपत्रों को जो भी प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ifms की website पर प्रविष्टि की जाकर ऑन लाइन करें।

1. प्रपत्र-1(अ), (नियमित/कार्यप्रभारित स्वीकृत पदों का विवरण) प्रपत्र-1 (ब), (स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध कार्यालय में कार्यरत अन्य कर्मिकों का विवरण) प्रपत्र-1 (स), (कार्यालय में कार्यरत अन्य कर्मिकों का विवरण स्वीकृत पदों के अतिरिक्त) प्रपत्र-2, (विभाग के लिए स्वीकृत टेलीफोन तथा मोबाइल का विवरण, प्रपत्र-3. (कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर एवं किराये पर लिये गये कम्प्यूटर्स की सूचना, प्रपत्र-4 (अ) (कार्यालय में उपलब्ध वाहनों की सूची) प्रपत्र-4(ब), (कार्यालय द्वारा किराये पर लिये गये वाहनों की सूची), प्रपत्र-5(अ) (पी0डी0 खातों में हस्तान्तरित राशि एवं उसके उपयोग की स्थिति का विवरण) प्रपत्र-5(ब) में बैंक खातों की स्थिति के संबंध में विवरण है। प्रपत्र-1 (अ) के कॉलम संख्या 7 व 8 को भरते समय विशेष ध्यान रखा जावे। कॉलम 7 व 8 में 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त/उसके पश्चात् नियुक्त का अभिप्राय राजकीय सेवा में नियुक्ति से है। प्रायः कार्यालयों द्वारा उनके कार्यालय में कार्य ग्रहण दिनांक के अनुसार, दिनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व/पश्चात् नियुक्त कर्मिकों की सूचना भर दी जाती है। अतः कॉलम संख्या 7 एवं 8 में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व/1 जनवरी, 2004 को तथा उसके पश्चात् राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की सूचना भरनी है। कार्यालय में चाहे कर्मचारी /अधिकारी की नियुक्ति/पदस्थापन चाहे कभी भी हुआ हो। उक्त सभी प्रपत्रों को ऑनलाइन किया जाना सुनिश्चित करें।
2. उक्त सभी सूचनाएं केन्द्रियकृत डाटा प्रमाणिकरण में मौजूद हैं। उल्लेखित सूचनाओं को जांच ले यदि स्वीकृत पदों टेलीफोन, कम्प्यूटर एवं वाहनों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हुई है, (पदों का स्वीकृत आदेश, टेलीफोन का स्वीकृत आदेश, कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर का क्रय एवं अन्य कार्यालयों से प्राप्त/भिजवाने का आदेश एवं वाहन का निस्तारण संबंधी आदेश) तो उसका कारण अंकित करते हुए उसकी सूचना निम्न प्रपत्र में लाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं०	IFMS Code	कार्यालय का नाम	बजट मद	पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि पदनाम सहित	टेलीफोन की संख्या में कमी एवं वृद्धि	कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर की संख्या में कमी एवं वृद्धि	वाहनों की संख्या में कमी एवं वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8

3. महंगाई भत्ता की गणना नियमानुसार (वर्तमान में जो लागू है) करना है। यदि महंगाई भत्ते की दरों से राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जाता है, तो संवेतन में भरी जाने वाली राशि में संशोधन करके अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें एवं प्रपत्र 9 की संशोधित हार्ड कॉपी पुनः भिजवा दें। सभी प्रपत्रों में राशि हजारों (सहस्रों) में भरी जानी है। राशि निकटतम सैकड़ों में Rounded Off करते हुए दर्ज करें। जैसे राशि रु. 15125/- को 15100 लिखना है तथा 15150 को 15200 लिखना है।
4. आय-व्यय अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों में आंकलित राशि का गत वर्ष आंकड़ों से मिलान कर यह सुनिश्चित कर ले कि आंकड़ों में बिना औचित्यपूर्ण कारणों के अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है।
5. प्रपत्र-8 के अधिकांश कॉलम में सूचना आईएफएमएस में पे-मैनेजर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर स्वतः दर्शित होगी जिसमें आवश्यक संशोधन कार्यालय अपने स्तर पर edit कर करें।
6. रिक्त पद हेतु किसी भी प्रकार का प्रावधान न तो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में न ही आगामी वित्तीय वर्ष के प्रावधानों में शामिल करना है। कार्यरत अवधि का वास्तविक भुगतान ही शामिल करना है।
7. उन सभी बजट शीर्षों का अनुमान तैयार कर साथ लावें जिन बजट मदों में आपके कार्यालय को बजट आवंटित किया गया है, या मांग प्रस्तावित की जानी आवश्यक है।
8. किसी प्रपत्र में राशि या विवरण शून्य होने पर भी शून्य का विवरण दर्शाते हुए प्रपत्र लावें।
9. नवीन स्कीमों/नवीन प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन करवाकर ही ऑनलाइन करने हैं।
10. बकाया यात्रा व्यय व बकाया चिकित्सा बिलों का विवरण सहित निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करना है:-

बकाया बिल प्रपत्र-अ

बजट मद

(राशि हजारों में)

क्र. सं०	IFMS Code	कार्यालय का नाम	बजट मद	कर्मचारी का नाम व पद	2013-14 से पूर्व बकाया बिलों की राशि	2014-15 में प्राप्त बिलों की राशि	2015-16 में प्राप्त बिलों की राशि	2016-17 में प्राप्त बिलों की राशि	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11. बकाया गम्भीर बीमारी से सम्बन्धित मेडिकल बिलों का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करना है :

बजट मद

(राशि हजारों में)

क्र.सं०	IFMS Code	कार्यालय का नाम	बजट मद	कर्मचारी का नाम व पद	रोगी का नाम एवं कर्मचारी से संबंध	गम्भीर रोग का विवरण	प्राप्त पुनर्भरणयोग्य बिलों की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

12. वर्दी संबंधी प्रावधान ऑब्जेक्ट हैड - 37 वर्दी तथा अन्य सुविधाएँ करना सुनिश्चित करें।

13. निम्न कार्यालय प्रपत्र-1(अ), प्रपत्र-1(ब), प्रपत्र-1(स), प्रपत्र-2, प्रपत्र-3, प्रपत्र-4(अ), प्रपत्र-4(ब), प्रपत्र-5(अ), प्रपत्र-5(ब) प्रपत्र 8 व 9 में व्यय के विस्तृत अनुमान, प्रपत्र 10 में प्राप्तियों के विस्तृत अनुमान, प्रपत्र 11 में जेण्डर सम्बन्धित विवरण तैयार कर दिनांक 30-09-2016 को ऑनलाईन भरकर उनकी हार्ड कॉपी व्यक्तिगत रूप से निम्न दिनाकों को बजट शाखा (आयोजना भिन्न) में कमरा नम्बर 234 द्वितीय तल में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

नोट :- संवेतन की गणना का विवरण पत्र संलग्न किया जावे, जिसमें मूल वेतन (ग्रेड-पे सहित), महंगाई भत्ता, मकान किराया, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस, एरियर, समर्पित अवकाश, अन्य कोई बकाया एरियर जिसका भुगतान किया जाना है, शामिल किया जावे।

क्र.सं०	कार्यालय का नाम	दिनांक
1.	संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड सीकर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/ प्रयोगशाला/ अनुसंधान केन्द्र	28.09.2016
2.	संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड भरतपुर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/ प्रयोगशाला/ अनुसंधान केन्द्र	27.09.2016
3.	संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड जयपुर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/ प्रयोगशाला/ अनुसंधान केन्द्र	28.09.2016
4.	संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड उदयपुर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/ प्रयोगशाला/ अनुसंधान केन्द्र	29.09.2016
5.	संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड कोटा के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/ प्रयोगशाला/ अनुसंधान केन्द्र	30.09.2016
6.	संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड भीलवाड़ा के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/ प्रयोगशाला/ अनुसंधान केन्द्र	3.10.2016
7.	संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड जोधपुर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/ प्रयोगशाला/ अनुसंधान केन्द्र	4.10.2016
8.	संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड बीकानेर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/ प्रयोगशाला/ अनुसंधान केन्द्र	5.10.2016
9.	संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड श्रीगंगानगर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/ प्रयोगशाला/ अनुसंधान केन्द्र	6.10.2016
10.	संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड जालोर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/ प्रयोगशाला/ अनुसंधान केन्द्र	7.10.2016
11.	शेष कार्यालय जिन्होंने निश्चित दिनांक को बजट प्रस्तुत नहीं किया	7.10.2016

यदि बजट परिपत्र डाउन लोड करने में एवं सभी प्रपत्रों की आई.एफ.एम.एस. वेब साइट में प्रविष्टि करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो श्री शम्भू दयाल घोषा, सहायक लेखाधिकारी-I, मोबाइल नं० 9887944786 एवं श्री इन्द्राज कुमार, सहायक लेखाधिकारी-II, मोबाइल नं० 9414447505, श्री रोहिताश शर्मा, क्लर्क ग्रेड-द्वितीय, मोबाइल नं० 9785370572 (कार्यालय के फोन नं० 0141-2227946) से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

मासिक आय संबंधी सूचना माह सितम्बर, 2016 का भी साथ लावें।

नोट :- (1) सभी प्रपत्रों में बजट मद एवं कार्यालय का आई.एफ.एम.एस. कोड अवश्य अंकित करें। बजट तैयार करने वाले कार्मिक का नाम, पदनाम व मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित करें।

(2) आंकलन अधिकारी के कार्यालय से बजट संबंधी प्रपत्र लेकर आने वाले कर्मचारियों को बजट शाखा में समस्त प्रपत्रों को जॉच एवं कम्प्यूटर में इन्द्राज करवाने के बाद ही उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

(घनश्याम शर्मा)

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक ए.३(11) आ.कृ. / लेखा / बजट / आ०भिन्न / बीएफसी / 2016-17 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्राचार्य, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुर / उप.नि.कृ. (प्रशिक्षण) टॉक।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन), मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि/ वनस्पति/ गुण नियंत्रण), दुर्गापुर जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (खण्ड)
5. समस्त उप निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण) / (मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला)
6. उप निदेशक कृषि (खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र) कोटा।
7. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
8. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद
9. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी
10. उप निदेशक कृषि (शष्प) मलिकपुर / चित्तौड़गढ़ / छत्रपुरा / बूंदी / करणपुर / तबीजी / रामपुरा जोधपुर / हनुमानगढ़ / लूणकरणसर / उप निदेशक कृषि (रसायन), जोधपुर।
11. लेखाधिकारी (बजट) मुख्यालय जयपुर।
12. सहायक लेखाधिकारी (अंक मिलान) मुख्यालय जयपुर।

12. ए०सी०पी का भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को कृषि विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध करवावें।

(घनश्याम शर्मा)

वित्तीय सलाहकार